

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:-95/2025 (2025/223)

प्रार्थी

हीराराम

बनाम

अप्रार्थी

घमुड़ी वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-10-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व वाद संख्या 55/2021 अनवान हीराराम बनाम घमुड़ी वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 01.04.2025 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खाजिर किया गया था। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व वाद संख्या 55/2021 अनवान हीराराम बनाम घमुड़ी वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी